

IV. वार्ड में आवासन की अवधि के आधार पर— 20 अंक
अंको का वितरण निम्न प्रकार होगा:—

1. संबंधित वार्ड में आवासन की अवधि 5 वर्ष से अधिक होने पर **20 अंक** तथा आवासन की अवधि 5 वर्ष से कम होने पर समानुपातिक अंक प्राप्त होंगे। (इस संबंध में कोई प्रमाण हो, तो संलग्न करें)
- (क) 5 वर्ष तथा 5 से अधिक (ख) 4 वर्ष (ग) 3 वर्ष (घ) 2 वर्ष (ङ) 1 वर्ष

V. झारखण्ड नगरपालिका वार्ड क्षेत्र निर्धारण एवं क्षेत्र सभा प्रतिनिधियों — संलग्न
का मनोनयन नियमावली 2015 की धारा 4.2 के अनुसार शपथ पत्र

उक्त सभी विवरणी मेरी जानकारी के अनुसार सही है।

मोबाइल नं०:—

तिथि.....

आवेदक का हस्ताक्षर

कार्यालय उपयोग हेतु

कुल प्राप्त अंकों की विवरणी

क्र० सं०	खण्ड	कुल प्राप्त अंक
1.	i. शैक्षणिक योग्यता	
2.	ii. जिम्मेवार नागरिक	
3.	iii. वार्ड में आवासन की अवधि	
4.	कुल प्राप्त अंकों का योग	

जांच किया एवं सही पाया

तिथि.....

अधिकृत कार्यालय कर्मी का हस्ताक्षर